

संख्या:-2/रा०प०(परी०) 06/2018- 363/रा०प०

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची

प्रेषक,

अबु इमरान, भा०प्र०से०
सचिव,
केन्द्रीय परीक्षा समिति,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड ।
महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड ।
निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची ।
सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, झारखण्ड ।
अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/
ग्रामीण विकास विभाग /ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग/ पेयजल एवं
स्वच्छता विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड ।
सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, झारखण्ड ।
सभी प्राचार्य, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, झारखण्ड ।
मुख्य लेखा नियंत्रक, योजना -सह- वित्त विभाग झारखण्ड, राँची ।
सभी उपायुक्त, झारखण्ड ।

राँची, दिनांक:- 03.05.19

विषय:- दिनांक:- 27.08.2018 से 04.09.2018 तक आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की प्रथम् अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2018 तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रथम् अर्द्धवार्षिक जनजातीय भाषा की परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मचारियों का परीक्षाफल ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में दिनांक- 27.08.2018 से 04.09.2018 तक आयोजित व सम्पन्न राजपत्रित पदाधिकारियों की प्रथम् अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2018 तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रथम् अर्द्धवार्षिक जनजातीय भाषा की परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मचारियों का परीक्षाफल इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए कहना है कि इसे संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को अपने स्तर से संसूचित करने की कृपा की जाय ।

2. परीक्षाफल में नाम/ पता/ विषय/ रौल नम्बर आदि में किसी प्रकार की अशुद्धि के निराकरण हेतु परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से तीन माह के अन्दर सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में सप्रमाण आवेदन पत्र नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा ।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा । उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन से सम्बन्धित किसी प्रकार का अभ्यावेदन नियमानुसार स्वीकार्य नहीं होगा ।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उन्हें प्राप्त छूट का लाभ देते हुए उनके नाम के सम्मुख अनुसूचित जाति/जनजाति अंकित कर दिया गया है । अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न यदि किसी पदाधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख उक्त शब्द लिपिकीय /टंकण की गलती से अंकित हो गया हो तो इसकी सूचना परीक्षाफल प्रकाशन के

एक माह के अन्दर उचित माध्यम से सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची को सप्रमाण अवश्य दिया जाए । इसी प्रकार वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रेणी में हो परन्तु उनके नाम के सम्मुख अनुसूचित जाति/जनजाति शब्द अंकित नहीं हुआ हो तो, वे भी एक माह के अन्दर इस आशय की सूचना उचित माध्यम से सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के कार्यालय को अपने दावा के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें ।


4. वैसे पदाधिकारी जो राजपत्रित नहीं हैं या जो पदाधिकारी वर्तमान में केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता नहीं रखते हों या वैसे चिकित्सा पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी जो अनुबंध पर कार्यरत हों, इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनका परीक्षाफल यदि प्रकाशित हो गया हो तो उसे स्वतः रद्द समझा जाए ।

5. अराजपत्रित कर्मचारियों की जनजातीय भाषा की परीक्षा के मामले में संबंधित विभाग द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवाशर्त नियमावली प्राप्त होने तक प्रकाशित परीक्षाफल औपबधिक होगा । जिन विभागों द्वारा अपने विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली (जनजातीय भाषा की परीक्षा के प्रावधान सहित) तैयार कर राजस्व पर्षद कार्यालय को उपलब्ध कराया जा चुका है, उन कर्मचारियों के परीक्षाफल के संदर्भ में यह कंडिका लागू नहीं होगी । वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो वर्तमान में केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोजित होने वाली जनजातीय भाषा की परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता नहीं रखते हों या जो अनुबंध पर कार्यरत हों और इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनका परीक्षाफल यदि प्रकाशित हो गया हो तो उसे स्वतः रद्द समझा जाए ।

6. परीक्षाफल www.jharkhand.gov.in के विभाग – Revenue, Registration & Land Reforms Department के Download Section पर उपलब्ध है ।

अनुलग्नक:- परीक्षाफल की प्रति ।

विश्वासभाजन,




सचिव,

केन्द्रीय परीक्षा समिति,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक- 2/रा०प०(परी०) 06/2018 - 363/२०१० दिनांक- 03.05.19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, व्यक्तिक दावा निर्धारण कोषांग,
योजना -सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।



सचिव,

केन्द्रीय परीक्षा समिति,
राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची ।

**CENTRAL EXAMINATION COMMITTEE,
BOARD OF REVENUE, JHARKHAND, RANCHI**

**Result of 1st Half-Yearly Departmental Examination 2018 of Gazetted officers
Held from 27.08.2018 to 04.09.2018**

DRUG CONTROL SERVICE

Sl. No.	Roll No.	Name & Address	Passed in Subject(s)
1	2	3	4
HAZARIBAGH CENTRE			
NIL			
DUMKA CENTRE			
NIL			
PALAMAU CENTRE			
1	3604001	Md. Abrar Alam, Drugs Inspector, Sadar Hospital Campus, PALAMAU	Accounts with Book

363 / 1704
03.05.19



सचिव,

राजस्व पर्षद, झारखण्ड।

2.05.19